



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 10.09.2021 को थानाध्यक्ष महोबकंठ सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 सूरज प्रसाद मय हमराह कां. सौरभ सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्त हिन्दूपत पुत्र बक्सा अनुरागी उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को घुटई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 25 पाउच ब्लू फायर ठेका देशी नाजायज शराब बरामद की गयी जिस पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

हिन्दूपत पुत्र बक्सा अनुरागी उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा।



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सूरज प्रसाद
2. कां. सौरभ सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे तलाश व गिरफ्तारी वांछित व वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना श्रीनगर प्र०नि० अनिल कुमार द्वारा गठित SSI लाखन सिंह मय टीम का० जितेन्द्र कुमार बिन्द , का० शिवम कुमार के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बिलखी तिगैला से थानास्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 92/21 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त पंकज सिंह राजपूत पुत्र बृजेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभि. को मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

पंकज सिंह राजपूत पुत्र बृजेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. SSI लाखन सिंह
2. का० शिवम कुमार
3. का० जितेन्द्र कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 09.09.2021 को थाना कुलपहाड़ प्र०नि० महेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित चौकी बेलाताल प्रभारी उ०नि० पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ने मय हमराही कर्मचारी की मदद से अवैध शराब बेचते हुये 01 नफर अभियुक्त भागीरथ रैकवार पुत्र स्व० श्री प्रभूदयाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु० करारीपुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गंगाराम मठ के पास बहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से एक प्लास्टिक की पीपिया में 15 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया था । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 216/2021 धारा 60 **EX ACT** का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण:-

भागीरथ रैकवार पुत्र स्व० श्री प्रभूदयाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु० करारीपुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० पुरुषोत्तम विश्वकर्मा (चौकी प्रभारी बेलाताल थाना कुलपहाड़)
2. कां० उमाशंकर पटेल 3.कां० साहब सिंह
- 4.हे०कां० कन्हैयालाल पटेल(चालक)





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे तलाश व गिरफ्तारी वांछित व वारण्टी अपराधी के क्रम में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित **SSI** देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(**FTC**) कोर्ट महोबा के अ०सं० 80/19 सरकार बनाम प्रदीप उर्फ वउआ आदि धारा 3(1) गैग्रेस्टर थाना कुलपहाड़ से सम्बन्धित एक नफर **NBW/वारण्टी** अभियुक्त प्रदीप उर्फ वउआ पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को बस स्टैण्ड मु० हटवारा से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

प्रदीप उर्फ वउआ पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. **SSI** देवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कुलपहाड़
2. हे०कां० कृष्ण कुमार थाना कुलपहाड़
3. कां० रवि कुमार पटेल थाना कुलपहाड़





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर व क्षेत्राधिकारी चरखारी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन।

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं निर्भीक बनाने हेतु लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक **10.09.2021** को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में तथा प्र0नि0 थाना कोत0 महोबा श्री बलराम सिंह व महिला थाना प्रभारी उ0नि0 शिल्पी शुक्ला की उपस्थिति में ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल महोबा में तथा थाना खरेला अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र की अध्यक्षता में व प्र0नि0 खरेला श्री अनूप दूबे की उपस्थिति में गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज कस्बा खरेला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम को आरम्भ किया गया, क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने संबोधन में बताया कि छात्राओं को महिला शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार व आत्मरक्षा पर विशेष जोर देकर जागरूक किया जा रहा है, साथ-साथ यह भी बताया गया कि छात्राओं/बालिकाओं को स्कूल आते-जाते समय या अपने गांव में कोई भी किसी प्रकार से परेशान करता है तो उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी थाने पर स्थापित “महिला हेल्प डेस्क” पर तुरंत बिना डरे हुए अपनी गोपनीयता बनाये रखते हुए कर सकती हैं आपात स्थिति में आप पुलिस आपातकालीन सेवा **112** पर फोन कर सकती हैं। जनपद के प्रत्येक थानों पर “मिशन शक्ति” के तहत स्थापित “महिला हेल्प डेस्क” पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को थाने पर आने वाली महिला फरियादियों की समस्याओं को अच्छी तरीके से सुनकर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के संबन्ध में जानकारी दी गयी।

इसी क्रम में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा ग्राम उटियां थाना कबरई में, थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी मय टीम द्वारा थानाक्षेत्र के प्र0वि0 ग्राम बगरौनी में, तथा थाना पनवाडी में म0कां0 रचना व मं0कां0 रुमन द्वारा कस्बा पनवाडी में जागरूकता अभियान के तहत चोपाल लगाकर जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाडी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 10.09.2021 को थाना पनवाडी प्र०नि० दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित की गयी टीम जिसमें का० विमल कुमार व का० मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने ग्राम लौलारा से उलदन जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्त मनीराम पुत्र भवानीदीन लोधी उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम उलदन थाना पनवाडी जनपद महोबा के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद की जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 194/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- का० विमल कुमार थाना पनवाड़ी महोबा ।
- 2- का. मनीष कुमार थाना पनवाड़ी महोबा ।

अभियुक्त का विवरण -

मनीराम पुत्र भवानीदीन लोधी उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम उलदन थाना पनवाडी जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत थाना पनवाड़ी प्र०नि० दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ०नि० श्रीपाल सिंह मय हमराह का.प्रबीन कुमार व का० रि०का० सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जयकरन पुत्र परशुराम अहरिवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाड़ी जिला महोबा को बिजरारी जाने वाली सड़क मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु०अ०सं० 193/2021 धारा 3/25 **A. ACT** पंजीकृत कर अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्रीपाल सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. का. प्रबीन कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. रि०का० राहुल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयकरन पुत्र परशुराम अहरिवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाड़ी जिला महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अग्निशमन टीम ने मॉक ड्रिल कर फॉयर सेफ्टी उपकरणों को चलाने का दिया प्रशिक्षण-

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण को संचालित करने हेतु आज दिनांक **10.09.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के आदेशानुसार अग्निशमन टीम एवं आपदा प्रबंधन टीम द्वारा राजकीय हाईस्कूल रावतपुरा थाना कुलपहाड़ में उपस्थित समस्त बालक बालिकाओं एवं वहा मौजूद समस्त स्टाफ को फायर सेफ्टी उपकरणों को चलाने वा आपातकालीन स्थिति में आग से बचाव एवं रेस्क्यू करने का प्रशिक्षण दिया गया।

अग्निशमन टीम-

1. एफएसओ देवेश तिवारी
2. चालक रमाशंकर
3. लीडिंगफायरमैन जाहिर सिंह
4. फायरमैन सरफराज खान
5. महेश पांडे
6. इंद्रजीत वर्मा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली पुलिस बल के साथ पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

सभी थाना प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक चोरी/लूट की घटनाओं में अकुंश लगाने के लिए रात्रि में करे प्रभावी गस्त- अपर पुलिस अधीक्षक



आज दिनांक 10.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के.गौतम द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बलराम सिंह मय पुलिस बल के साथ महोबा शहर में पैदल गस्त कर संदिग्धों की चेकिंग की गयी तथा कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड

संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police